(87)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् रेवेन्यू बोर्ड मध्य प्रदेश ग्वालियर म.प्र.

निग-133-I-16

पुनरीक्षण याचिका :-

आवेदक: रमेश कुमार आत्मज राजा भईया निवासी-ग्राम छोटा सिंहपुर तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

विरूद्ध

(572)

अनावेदकगण: 1-नीतेशकुमार आत्मज नन्हेलाल कौरव निवासी ग्राम सिंहपुर तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

2-राजस्व निरीक्षक मण्डल बावई कला तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म.प्र.

3-तहसीलदार महोदय सर्किल चीचली तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म.प्र.

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
30 NOV 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता.

आवेदक, कार्यालय राजस्व निरीक्षण मण्डल बावईकला तहसील गाडरवारा जिलानरसिंहपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 613/12/14-15, में पारित सीमाकंन प्रतिवेदन से परिवेदित होकर निम्न लिखित तथ्यो व अन्यकेअतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है कि:

तथ्य
===

यहकि वर्तमान अनावेदक क्र.1 द्वारा कार्यालय राजस्व निरीक्षणमण्डल बावईकला तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर (अना.क्र2)

NOTARY
Ku. Vijeshwari Disouza
Civil District JBP
R. No. M.P.19/
50.9.98
GOVT. OF INDIA

... 270 पटवारी हल्का नंबर 56

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर
अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमाक निगरानी 133 /एक/2016 जिला–नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
10.6.16	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल वावई कलॉ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर द्धारा प्रकरण कमांक 61/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 25–6–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू –राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि राजस्व निरीक्षक ने स्वस्तर से सीमांकन न करते हुये पटवारी से सीमांकन कराया है एंव पटवारी ने कब सीमांकन कर दिया , आवेदक के मेडिया कृषक होते हुये भी व्यक्गित सूचना नही दी गई एंव आवेदक को सीमांकन की जानकारी तव हुई , जव मेढिया कृषक रमेश कुमार आवेदक की भूमि जोतने एंव कव्जा करने को खेत पर पहुचा तव आवेदक ने पता करके सीमांकन आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर सीमांकन आदेश व सीमांकन प्रतिवेदन सम्वधी समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की एवं निगरानी प्रस्तुत की हैं जिसे स्वीकार किया जाय। शासन के पैनल लायर ने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी । 4/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं उपलव्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पुआंरिया की भूमि सर्वे कमाक 19/2 तथा 19/6 का सीमाकन राजस्व निरीक्षक के आदेश से पटवारी हलका ने किया सीमांकन रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत की है। हलका पटवारी ने दिनांक 23.6.15 को सीमांकन किये जाने का सूचना पत्र जारी किया है सूचना पत्र पर जिन मेडिया कास्तकारो के नाम अंकित कर सूचना दी है उनमे आवेदक का नाम अंकित नही है। जिसके कारण आवेदक द्धारा आवेदक को उक्त प्रकरण मे पारित आदेश की कोई सूचना व जानकारी प्राप्त नही हुई है। आवेदक व चौहददी से लगे कृषकों को सूचना देकर दिनांक 23.6.15 को सीमांकन कर सीमांकन दल द्धारा सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा फील्ड बुक प्रस्तुत की गई।	

भू–राजस्व सहिता ,1959 (म0प्र0) धारा 104 पटवारी के कर्तव्यो के निमय 1 लगायत 32 निर्धारित –नियमो मे पटवारी के कर्तव्यो में किसी भूमि के भू भाग को सीमांकित करके सीमाचिन्हित कार्यवाही करना निर्धारित नही है। स्पस्ट है कि पटवारी हल्का ने सहिता की धारा 104 सहपठित 129 के परिधि से बाहर जाकर सीमांकन कार्यवाही की है।

5/ प्रकरण में विचार योग्य है कि जव संहिता में सीमांकन कार्यवाही करने के लिये पटवारी सशक्त नही है , सीमांकन कार्यवाही करने हेतु कौन सक्षम है

1– भू –राजस्व संहिता ,1959 (म0प्र0) धारा 129 –सर्वेक्षण संख्यॉक या उपखंड या भूखंड संख्यॉक का सीमांकन –(1)तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यॉक की या उपखंड या भू–खंड संख्यॉक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा।

2– भू– राजस्व संहिता , 1959(म0प्र0)धारा 129–असाधारण राजपत्र दिनांक 23.12.10 में प्रकाशित अधिसूचना कमाक एफ–2–23–2010 दिनांक 23दिसम्बर 2010 के अनुसार –इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियॉ समस्त राजस्व निरीक्षकों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गई है।

3– भू– राजस्व संहिता , 1959(म0प्र0)धारा 129–इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नही कर सकता। (नाथूराम विरूद्ध नरोत्तम कुमार 1971रा0नि0 252से अनुसरित)

अत एवं दूषित कार्यवाही के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल वावई कलॉ तहसील गाडरवारा द्वारा प्रकरण कमाक 61/अ–12/2014–15 मे पारित आदेश दिनांक 25–6–2015 स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल वावई कलॉ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण कमाक 61/अ–12/2014–15 मे पारित आदेश दिनांक 25–6–2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य